

सम्पादकीय

सच दिखाने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर पत्रकार राजद्रोह के कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ पिछले साल शिमला में दर्ज राजद्रोह का मामला खारिज करते हुए यह बात कही। विनोद दुआ के खिलाफ यह मामला हिमाचल प्रदेश में एक भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी और पिछले अक्टूबर में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सन् 1962 का केंद्रासनाथ सिंह केस इस तरह के मामलों में नजीर माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में भी इसी को आधार कानून का वैध ठहराया था, लेकिन यह कहा था कि अगर कोई पत्रकार सिर्फ सरकार की आलोचना करे, तो इस आधार पर उसके ऊपर राजद्रोह नहीं कायम किया जा सकता। अगर वह हिंसा के केंद्रसाता है, तभी राजद्रोह का मामला बन सकता है। ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देशों के होते हुए पूरी पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज होते रहते हैं। राज्य सरकारों की ओर से या उनके प्रोत्साहन से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ज्यादातर मामले अदालत में टिक नहीं पाते, लेकिन इनका उद्देश्य, जो कि पत्रकारों को डराना या प्रताड़ित करना है, पूरा हो जाता है। इस फैसले केंद्रों दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और पीठ ने एक अन्य मामले में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस कानून के दायरे पर फिर से सोचे जाने की जरूरत है। वह मामला आंध्र प्रदेश का था, जहाँ एक राजनेता और एक चैनल के दो पत्रकारों पर राजनेता का भाषण दिखाने के लिए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फिलहाल एफआईआर पर कार्रवाई रोकते हुए काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट के कन्यायाधीश ने व्यंग्य में पूछा कि क्या गंगा नदी में उत्तराती लाशों की खबर

काम करने वाले चैनलों पर राजदोह का मुकदमा दर्ज किया गया है? ज़ाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शायद इस बात से वाकिफ हैं कि राजदोह के कानून का दुरुपयोग पत्रकारों को अपना नियमित काम करने से रोकने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पत्रकारों किशोरचंद्र वांगखेम और कृष्णलाल शुक्ल की याचिका मौजूद है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के दौर के इस कानून को चुनौती दी है। अगर किसी को किसी पत्रकार से या किसी खबर से कोई शिकायत है, तो लोकतंत्र की पंपराओं के मुकुटाबिक उस रिट्यू में कार्रवाई करने के तरीके हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि सरकारें या साताधारी पार्टी के लोग सीधे राजदोह का मामला कायम कर देते हैं। इस कानून का इतिहास यहीं बताता है कि इसका दुरुपयोग ही ज्यादा होता आया है। अवसर पत्रकारों या समाजिक कार्यकर्ताओं या पिए शांतिपूर्ण आदालतनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें परेशान किया जाता है। ताजा मामले यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले की गंभीरता को समझ रहा है। अगर आला अदालत इस कानून की समीक्षा करके इसके दुरुपयोग को रोकने की पहल करती है, तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर होगा।

हमें जनगणना की जरूरत क्यों है

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीड़ीपी) घटकर 'एम्स' फीसदी हो गया है, 18 से 44 आयु-वर्ग में जीविम का खतरा 'वाई' फीसदी रहता है; उत्तर प्रदेश में 'जेड' लाख ग्रामीणों को अब बचती की सुधिक्षणा में जारी है। इस की सूधिक्षणा आयो रोजना अखबारों में पढ़ते हैं। मगर क्या कभी आपने यह सोचा है कि भला कैसे कार्ड लेखक 'एम्स', 'वाई' या 'जेड' जैसे स्टार्क आंकड़े जान लेता है, जबकि इसके लिए संबंधित इलाके के हर व्यक्ति की गिनती भी नहीं की जाती? दूरअसल, संबंधित इलाके, राज्य अथवा देश के कुछ लोगों के लिए जानकारियाँ इकट्ठा करके यह आकलन किया जाता है, और आवादी के इस छठे या सैंपल डाटा को दिखाने के लिए वह आंकड़े को आधार बनाना जाता है, वह है देश की दरकारीय जननाणना। 19वीं सदी के मध्य तक ईंट इंडिया कंपनी ने भारत पर करीब-करीब पूरा कब्जा कर लिया था। 1858 में, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण कंपनी से लेकर बितिश राजशक्ति को सौंप दिया गया। मगर सासान स्थापित करने के लिए बितिश सरकार को लोगों और उनकी रिहायश को लेकर बितिश और विश्वसनीय डाटा की जरूरत पैदा की। आधिकारिक, वह कैसे तय कर सकती थी कि उनकी महारानी ने भारत पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो अमानवीय टैक्स लगाया है, वह देश के हर निवासी से वसूला जाए?

औपनिवेशक सत्रा को पाता था कि क्या करना है। वह 1801 से ही इसे अपने यहां कर ही थी। इस कवायद को 'सेस्सम' यानी जननाणना कहा गया जो लैटिन

शब्द 'संसेर' से निकलता है। रजस्ट्रर जनरल ऐड सेन्सस कमिशन के कानूनीयता बनाए गए और 1881 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। बोकेष जनगणना का मूल उद्देश्य लाभ वसूली की मशक्ता को पूँप करना था, लिखित इसका लाभ कह किंविधानों को मिला। रिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा की अपनी योजना बनाने में इसका इस्तेमाल किया। लोक-निर्माण विभाग ने इसका उपयोग सड़क नेटवर्क की योजना बनाने में किया। बिजली संयंत्र स्थापित करने और ग्रिड तक ट्रॅक लाइन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और, रेलवे ने पटरियां बिछाने की योजना बनाने में इसका उपयोग किया। जनगणना का आंकड़े ने जैसे ही बुनियादी ढाँचे को प्रभावित किया, लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही बढ़ गई। बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह बाजार शहरों का तेज विकास हुआ, क्योंकि रेल नेटवर्क से उन्हें निकट और सुदूर इलाकों से जोड़ा गया। औपनिवेशिक राज को कई परपराएं 1947 के बाद भी कायम रहीं। सौभाग्य से जनगणना भी उत्तम से एक है। अमृतनाल पांच या दस साल पर होने वाली जनगणना को राष्ट्रीय संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य माना जाता है। अमेरिका दूसरक के अंत में जनगणना को राष्ट्रीय संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य माना जाता है। जो 2020 में कोविड-19 के बावजूद पूरा किया गया, तो चीन ने भी पिछले साल अपनी दशकीय जनगणना पूरी की है। भारत में पिछले बार 2010 में गिनती शुरू हुई थी, जो 2011 में पूरी हुई। अपने यहां इसका बुनियादी परिवर्तन सही है। मार यह सर्वे पिछले साल जैसे मुश्वर-रहा। अब तो हम 2021 के मध्य में आ चक्के हैं लेकिन जनगणना का अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सबल है, 2021 की जनगणना की परवाह आखिर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? पहली बजह, अब हम यह जानते हैं कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन का जिताना अंडर दिया, वह अबादी के बनाने को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सकता। जनगणना से न सिर्फ हमें वह पता होता है कि देश में किन लोगों रहते हैं, बल्कि उनकी उम्र, लिंग, मूल निवास, परिवार और शिक्षा का स्तर भी हम जान लते हैं। बर्ष 2011 की जनगणना में ऐसे सभी विवरण मौजूद हैं, जनगणना होने पर 2021 में भी ये हमारे पास होते हैं। दूसरा कारण, 2020 में अगली परिसीमन प्रक्रिया के खत्म होने पर लोकसभा में राजनीतिक संतुलन आया। यदि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है, तो जिन राज्यों में जनसंख्या प्रबंधन की हालत खस्ता है (विशेष रूप से हिंदी पृष्ठी में), संसद में उनकी नुमाइंदगी काफी बढ़ जाएगी। दक्षिण व पश्चिम भारत को नुकसान होगा। जाहिर है, परिसीमन के लिए भी हमें जनगणना के तमाम खलूआं पर गौर करना होगा। तीसरा, संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंतवारों की वित्त आयोग निरगानी करता है। वस्तु से एवं सेवाएं कर, यानी जीससटी इस वितरण को और विवादास्पद बना देता है। राजस्व के निरधारण में भी जनसंख्या अहम भूमिका निभाती है। चौथी, देश में साप्रदायिक राजनीति जारी है। कई नेता यह आरोप लगाते हैं कि बहुसंख्यक आबादी घट रही है और अत्यसंख्यकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जर्मनी हकीकत जानने के लिए जनगणना होनी चाहिए और अल्पसंख्यक प्रक्रिया है। यह हम सिफारिश है। आबादी की सम्बन्ध बताती है। बल्कि जन्म व मर्यादा संकेत नहीं मिल रहा है।

दर, प्रजनन दर, सकल और शुद्ध जन्म दर, नवजातों मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर जैसे आंकड़े भी हमारे समने रखती हैं। ध्वनीकरण की जगतीनि को जननाणन के बेपराद कर सकती है। पांच, आर्थिक विधियों को फिर से सुख के किए लिए बुनियादी ढांचे में बदल देना चाहिए। इसके पर निवेश की बात चल रही है। इससे जुड़े कई सवाल हैं, जैसे अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन क्या एक अच्छी योजना है? किने रेल मार्गों को और मजबूत करने की दिक्कार है? सड़क, नदी, समुद्री और हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे को किस तरह से सुधारा जाना चाहिए? किसानों को अपनी उपज पर पर्याप्त फायदा कैसे मिलाया जाए? सबसे अच्छा मॉडल क्या है? जनगणना इन्हें तराम सवालों का उचित जवाब दे सकती है, जिसका योजनाकरणों को यह पता चलाया गया। इन सबसे कौन-लाभान्वित होगा, कितना होगा और किस कीमत पर हो होगा? और आखिरी कारण, सामाजिक जीवन में टीवी किस तरह से शामिल है, उसे देखते हुए क्या हम यह कह सकते हैं कि बाबू रेटिंग चैनलों या टेलीविजन शो के देखने का असल पैटर्न बताता है? क्या 2021 में ग्रामीण दर्शक वार्कइंशार्ट क्षेत्रों से ज्यादा हो जाएगा? यूनियन पैनल द्वारा बाहरी डाटा जमा करती है, और जनगणन के आधार पर रेटिंग तय करती है। जब जनसंख्या का आंकड़ा ही गलत है, तो रेटिंग क्या सही हो सकती है?

जान से ज्यादा कीमती नहीं परीक्षा

बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा (विशेषकर सीबीएसई) को रद्द करने का फैसला इस समय उलब्ध सभी विकल्पों में सबसे अच्छा माना जाएगा। यह अत्यंत साहासिक निर्णय है, जो देश की संवदनशीलता की भी दिखाता है। हम सब जानते हैं कि 12वीं के तकरीबन 1.5 करोड़ परीक्षार्थियों में से कर्क अपाले दस्तक वर्षों में देश के विभिन्न स्थानों पर ऊंचे पदों पर नियंत्रण लेने वाली स्थिति में होते हैं। इसलिए उनका भविष्य सुरक्षित रहना ही चाहिए। चूंकि अपील हम करोना रूपी अद्वितीय शूल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जिसका वित्तीय अब भी पूर्ण तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन ऐ बच्चों की सुरक्षा से बड़ा काह दूरावाल लक्ष्य अपील हो नहीं सकता। हाँ, बच्चों को यह चिंता जस्तर होगी कि अगर उन्हें सुनिश्चित पंसरण तो परीक्षा नहीं दी, तो उन्हें संभवत-दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश में उन्हें कठिनाई हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें मुश्किल पेश आए। लेकिन धीरे-धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि सुरक्षा का सामने ये सभी कठिनाइयांछोटी हैं, और यह समय का उत्तम वर्ष है, जिसके बारे में उन्हें मिल-बैकर कर्चा करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में देश किन कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, यह हर कोई जानता है। कोरोना के कारण लोग दुखी हुए, परिवार काट में रहे और समाज परेशान हुआ। हमने नकारात्मकता भी देखी, जहां कुछ लोगों के कबल आतोंकां की व्यक्तियां में रहे और साकारात्मकता का प्रतीक भी बदला, जहां व्यक्तियां, समाजकां और संस्थानकां रूप में लोगों ने एक-दूसरे की मदद की। इससे सबक लेते

हुए बच्चों को अपनी चिंता से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें न पिरफ्फ दूसरों की मदद करनी चाहिए, बल्कि नकारातक कर्तव्यों से भी बाहर निकलने की सोशिशन करनी चाहिए। इस समय का सुधुयोग उन्हें यह सीखने के लिए करना चाहिए कि अचानक समान आई बड़ी से बड़ी समस्या का किस तरह से समाना किया जाता है? यह 'कॉन्फिलक्ट रिजिल्यूशन' के गुरु सीखने का समय है। तावन, दबाव का बख्खी समाना करने का कौशल बच्चों को अभी सीखना चाहिए। उन्हें सरकार के इस फैसले का सामाजिक चाहिए। हालात, उनके प्रभाव का यह किटल्प भी है कि हालात समाज नहीं होने के बाद वे परेशा दे सकते हैं, इसलिए यहाँ यहाँ तावन पालने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल यह है कि बच्चों में संकारात्मकता आएगी कैसे? कई बच्चे यह मानते हैं कि अब तक वे पाठ्य-पुस्तक और स्कूली परीक्षाओं के दायरे में ही आगे बढ़े हैं। जीवन में पहली बार वे इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे, अगले कुछ महीनों का वक्त अलग-अलग विधा की किताबें पढ़ने में लाया जा सकता है। विज्ञान के विद्यार्थी हाँ, तो समाज विज्ञान की किताबें पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक डिग्री बेसेज जरूरी है, लेकिन इतिहास, विरासत, भूगोल, सामाजिक संबंध आदि की समझ भी जरूरी है। वैसे भी, बंधन मुक्त पढ़ना काफी आनंददायक होता है, और 12वीं के बच्चों के पास संभवतः जीवन का यह बहु मौका होगा, जब वे बढ़कर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों को 'लाइड लॉन लर्निंग' का महल भी सीखना चाहिए। अजग परा विश्व मानता है कि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है परीक्षाएं हम भले ही पास कर ले, लेकिन जो जाह मप्रस करेंगे, वह अगले दो-चार साल बाद जीवन में कितना काम आया, यह समझ आवश्यक है। जैसे, 40-50 माल सप्तप्रत्येक यदि कोई टाइट गेटर सीख लेता था, तो वह कौशल कई बारों तक उसके काम आता था, लेकिन आज हमें यह नहीं पता कि जो कॉप्यूटर हमारे हाथों में है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है और वह समझना चाहिए कि परिवर्तन की यह विलासी बढ़ती जाएगी। उन्हें अपने कौशल को निखारते हुए हमेशा कुछ-न-कुछ नया सीखना होगा, तभी उनका जीवन अगे बढ़ सकेगा। बच्चों के पास अभी यह जानने का मौका है कि इस कौशल-विकास की प्रक्रिया में वे नया क्या और कैसे सीख सकते हैं? बच्चों को इन दिनों यह भी देखा होगा कि समाज कैसे ड्रूक-दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन सहयोग और सेवा की यह भवाना अद्यता जरूर है, लेकिन यह विलप्त है। हम यह साफ-सफाफ देख सकते हैं कि जो देश अनशनसाक्षी की बात करता है, वही को विकलान करता है, बच्चों के लिए संवेदनशील होता है और उनके विकासको के लिए रास्ता तैयार करता है, वही तरकी करता है। हमें यह सीख जीवनपूर्ण याद रखनी चाहिए। हमें न सिफारिश साथ-साथ इन्हाँ सीखना होगा, बल्कि सभी संस्कृतियों और देशों के बारे में भी जानना होगा। बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब अंतर्रिक्ष मूल्यांकन विधाया की किताबें देखिए जायेंगी। इसको लखनऊ भी हास्य मौका बच्चों को 'लाइड लॉन लर्निंग' का महल भी सीखना चाहिए। अजग परा

के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं, जो जानते हैं कि इस परिपरीक्षा में यह किया जा सकता है? पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब किसीने न किसी कारण से परीक्षा की कोर्सिया नष्ट नहीं गई। तब, वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए तरीकों से बच्चों का मूल्यांकन किया गया। हमारे विशेषज्ञ इस बार भी ऐसा कोई रसात मिल-बैठकर निकाल लेंगे मानकिन है कि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के नियमों में भी आवश्यक सशोधन हो। इसलिए सभी प्रकार नकारात्मक कारों पीछे छोड़ते हुए बच्चे नए-नए ज्ञान अर्जित करें और सकारात्मक डिशा में आगे बढ़ें। हमें भी समझना होगा कि शिक्षा की गतिशीलता उत्सुक उपयोगिता निर्धारित करती है और मानव को उत्के लक्ष्यों की ओर ले जाती है। हमारी नई शिक्षा नीति में इस तरह की बातों का ख्याल रखा गया है। अगर यह लागू हो चुकी होती, तो बच्चों का सरल मूल्यांकन हम आसानी से कर पाते। मगर दुर्भाग्य है कि हमारे सभी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे पूरे देश में उचित अनुपात में शिक्षक हों और अध्यापकों पदाने के अलावा किसी दूसरे कारों में न लगाया जाए, तो निश्चय ही आधारपकों का मूल्यांकन सभी को स्वीकार्य होगा। सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे का असल मूल्यांकन वही कर सकता है, जो उसे पढ़ाता हो। उम्मीद है, मौजूदा असामान्य परिस्थितियों से सबक लेते हुए हम भवित्व के ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

जूनियर भगवान हड्डताल परः राकेश अचल

तो सरकार को जूड़ा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। काबिलेगार ये है कि प्रदेश सरकार जूड़ा की अधिकारांश मांगों को मान चुकी है। जूड़ा की मांग थी कि जनरिय डॉक्टर्स और उनके प्रतिवार के सदस्य आप करोनाएं पीड़ित होते हैं तो उन्हें निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की। यह जिसे सरकार ने मान लिया था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में बताया कि जूड़ा की अधिकारांश मांग मान ली गई है लेकिन जूनियर डाक्टरों ने हाईकोर्ट की सुनी और सरकार की, अब सरकार के सामने दुविधा है कि वो क्या करें सरकार हड्डताली डाक्टरों को बाखास कर सकती है लेकिन सबाल ये है कि प्रदेश अधिकार कहाँ से आएंगे रातों-रात तो डाक्टरों की भर्ती हो नहीं सकती क्योंकि डाक्टर हैं कहाँ पहले से प्रदेश और देश में डाक्टरों की भारी कमी है। जूनियर भगवानों की मांगों से हमारा काई विरोध नहीं है। हमारा विरोध हड्डताल से भी नहीं है, हमें यानि आम जनता को तकलीफ इस बात की है कि जूनियर भगवानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए जो समय चुना है वो तकहत है। ताकि हम इस डाक्टर हड्डताल नहीं कालिक सरकार को ब्लेकमेल कर रहे हैं। कायदे से डाक्टरी का पेशा ऐसा है जिसमें हड्डताल की कोई सुविधा होना ही नहीं चाहिए। हड्डताल एक मौलिक अधिकार है, संविधानिक अधिकार नहीं। कुछ सवारों ऐसी हैं जिनमें हड्डताल कर दी जाये तो मनुष्यान्तर खरों में पढ़ सकती है। आपको याद आया है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में पहले से काम होगा। हमारे सरकारी डॉक्टर फैसल जैसे आसाध्य रोगों ने सकारी अस्पतालों की कमर तोड़ रखी है। अपर से जूनियर डाक्टर हड्डताल पर हैं। इस आपात स्थिति में वरिष्ठ डाक्टर कितने दिन स्थिति का सम्बाल सकते हैं? मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले दिनों ही प्रदेश में किल

कोरेना नाम का अभियान चलाया था, इस अभियान की रीढ़ में ये भगवान ही हैं ही लेकिन ये तो हड्डताल पर चले गए। अब अभियान का दम तोड़ना तय है। विषय परिस्थिति में सब जानते हैं कि सरकार ही झेके, भगवान नहीं। वे तो जहाँ चाहें वहाँ जाकर पूरी रोजी काम कराएं लेकिन सरकार उनका विकल्प नहीं—पत खड़ा नहीं कर सकती। मानवता का तकाजा है कि जूनियर भगवान तलाताल अपने काम पर लौटें और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जापानी तरिके इस्तेमाल करें ताकि न तो मनुष्यता का नुकसान हो और न उनके गोरखसारी पेशे पर आच आये। किंहाँ माने या न माने आज भी देश-दुनिया में डाक्टरों के अम्भदारों और सारपीटी की कुछ ठनाओं को छोड़कर डाक्टरों को भगवान का दूसरा रूप ही माना जाता है लेकिन भगवान अपने इस रूप-स्वरूप का बेजा फायदा उठाने लगे हैं। निजी क्षेत्र में तो उहाँने लूट मचा रखी है, सरकारी क्षेत्र में भी उहाँ की दावागारी चलती है, फिर भी ऐसे हड्डताल का अमोघ अचं चलाने से बाज नहीं आते। मध्यदेश सरकार जैसे भी ही इन जूनियर भगवानों को मनाये अन्यथा ये आग प्रदेश से बाहर भी फैल सकती है। क्योंकि अपादा में अवरपर सभी को नजर आ रहा है। मेरा सुझाव है कि हालात मामूल होने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य की जाये, जहाँ पहले तो डाक्टरों का हड्डताल की सुविधा ही न दी जाये और अगर ऐसी कोई सुरक्षा बन तो जिसी क्षेत्र में काम करने वाले तमाम डाक्टरों को कानून की जरिये सरकारी अस्पतालों में काम कराये जायें। हालाँकि ऐसा कर पाना कठिन है लेकिन कोशिश करसे में क्या जाता है?

-राकेश अचल

A black and white photograph of Sharad Pawar, an Indian politician. He is shown from the chest up, wearing a light-colored kurta and glasses. He is holding a small book or document in his hands. The background is slightly blurred, showing what appears to be an indoor setting.

सेवा के नाम पर जबरन वसूली

भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हैं और यह दुनिया की सबसे निजीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में से एक है। भारत की राज्य और केंद्र सरकारें लिपतकर स्वास्थ्य सेवा पर सकल ध्वनि उत्पाद का 1.29 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करते, जो कम आय वाले दरों की तुलना में भी बहुत कम है। यहां अमीर देशों जैसे भूली नी जाएँ, जो कम आय वाले दरों की तुलना में सब प्रतिशत खर्च करते हैं। कोविड जैसी महामारी के दौरान इस उपर्युक्त थी कि केंद्र सरकार 2022 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल ध्वनि उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रतिबद्धता को लाए करना शुरू कर दी, पर यथार्थ इससे कोई फ़ायदा नहीं दूर है। यहां तक कि सरकार के अधिक प्रोत्साहन पैकेज 2020 में सार्वजनिक स्वास्थ्य (पीपीई, परीण आदि के लिए 15 हजार करोड़ रुपये को छोड़कर) के लिए कुछ भी नहीं था और तिवर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य बजट और कम हो गया (यदि हम टीकों की खरीद-राशि को निकाल लें)। यह सबल उठता है - अगर सरकारें निजी क्षेत्र पर इतनी निर्भर हैं, तो जब निजी क्षेत्र का तौर-तरीका अनैतिक हो जाए, तब क्या सरकारों के पास कोई सहारा है? अधिकारी भारत में न तो केंद्र और न ही राज्य और न नागरिकों के पास इस तरह के लालच के खिलाफ कोई सहारा है। स्वास्थ्य देखभाल सर्विशन की राज्य सभी में है और भारत के केवल 11 राज्यों व सभी केंद्र शासित प्रशासनों (दिल्ली को छोड़कर) को विलनिकल प्रतिशतान्तर (पैकेज कार्य और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीईआर) को अनियन्यित किया है। इस विलनिकल प्रतिशतान्तर (केंद्र सरकार) नियम 2012 के अनुसार, नैदानिक प्रतिशत दी जाने वाली हर प्रकार की सेवा के लिए प्रभागी दरों और एक विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं को प्रदर्शित करें, पर दिल्ली में ही कोई ऐसा नहीं करता। यदि आप पहले से लैपटॉप की कीमत नहीं जाती हों, तो व्या लैपटॉप खरीदें? नैदानिक प्रतिशतान्तर जग्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा जारी दरों की श्रेणी के अनुसार, हर प्रकार की लिए दर की मांग करेंगे। मानक का अनुपालन सुनिश्चित कराएं कि सेवाओं के अन्तर्वक्तव्य सचालन से बच जाए। पर सच हह है, जब दिल्ली अस्पताल मर्जी से पैसे बसूलते हैं। अधिनियम में यह भी है कि यदि पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तो पंजीकरण रद्द करना, किसी भी समय संभव है। पर आगे भारत के अधिकांश राज्यों में यह कानून नी ही नहीं है, तो अस्पताल/सेवा प्रदाताओं को मान्यता रद्द होने का ब्या ढ़ होगा? जब राज्य में सीझे लाग नहीं है, तब मरीजों का ब्या होता है? जैसे-जैसे महामरी बढ़ती रह गई, भारत सरकार से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लापता को नियन्त्रित करने की मांग की गई। भारत में सावधानिक अस्पतालों की तुलना में लागभग दोगुने निजी अस्पताल हैं। देश की ग्रामीण आबादी के लागभग 85.9 प्रतिशत और शहरी आबादी के 80.9 प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलता। अधिकारी वेंटिलेटर केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध है और उसमें भी वे केवल सात राज्यों में कोटित हैं। ये सब कामिया हताश रोगियों का निजी स्वास्थ्य सेवा की ओर जाने के लिए मजबूत करती है। पश्चिम बंगाल ने घोषणा की कि कोविड-19 लोगों को संभालने वाले अस्पतालों और निजी अस्पतालों में इलाज परी तरह से मुफ्त होना चाही रखा, पर अधिकारी बड़े कारपोरेट निजी अस्पतालों ने अस्पर्थाता जाता दी। इह दिल्ली में निजी अस्पतालों को 60 प्रतिशत बेड रियायती दर पर देने को कहा गया, लेकिन तब भी कई रोगियों को बिना सब्सिडी वाले विसर लेने के लिए मजबूत किया गया। बोंबारु, मुंबई और हैरावाड जैसे शहरों को प्रशासन से निजी अस्पतालों के खिलाफ सफलतापूर्वक कानूनीकरी है कि जो अब उन रोगियों को कोविड कर रहे हैं, जिनसे कोविड-19 उपचार के लिए अधिक लुक्क लिए गए थे। लेटांगाना ने ज्यादा बसूलती की पहलान आसान बनाने के लिए मदबद्दु बिलिंग अन्वयन्य कर दी है। महाराष्ट्र ने अपनी एकीकृत राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों की संख्या को दोगुना कर 1,000 कर दिया है और इसे एक लाख रुपये या उससे कम की वारंपरिक आय वाले परिवर्तों तक बढ़ा दिया है। राज्य ने निजी अस्पतालों में कोविड और गैर-कोविड उपचार की लागत पर एक दर कैप भी लागू की है, यह एक उपाय है, जिस परे देश में आजमाया जा रहा है। निजीकृत स्वास्थ्य देखभाल जैसे शहरों को प्रशासन से निजी अस्पतालों के लिए आसान काम कराना चाहिए। लेकिन सरकार ने अब तक आपक सरकार पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, हालांकि राज्य सरकारों में महामारी में रेट कैपिंग के साथ प्रयोग कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक समिति ने दिल्ली के 350 निजी अस्पतालों में दरों पर लगाम की सिफारिश की थी - कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपये, जिन्हें विसर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की आवश्यकता होती है। गहन देखभाल इकाई (आईडीयू) में भर्ती होने की जस्तर वाले लोगों के लिए 15,000 रुपये, और वेंटिलेटर सपोर्ट की जस्तर वाले लोगों के लिए 18,000 रुपये तब किए गए थे।

शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही 14 लूटों का खुलासा कर 06 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटा हुआ करीबन 8 लाख का मैरुका किया बरामद

A group of nine police officers in uniform are gathered at a press conference. Seven officers stand in a row behind a wooden podium, while two others sit at the front. The officer seated on the left has his arms crossed. The officer seated on the right is speaking into a microphone. The background features a blue banner with the text "मध्यप्रदेश पुलिस" (Madhya Pradesh Police) and the Indian national emblem.

शिवपुरी- परियादी सुभाष गुर्जर पुत्र मेहताव सिंह गुर्जर उम्र 19 साल निवासी ग्राम दुमदुमा थाना करौरा ने चौकी सुनारी पर रिपोर्ट किया कि दिनांक 05.11.2022 को लालाभग 19.00 बजे मैं वे मेरी भाभी रुकमणी, बहिन अंजू मॉ०८०१० से रिश्तेदारी में ग्राम ऐपुरा जा रहे थे उसी समय ग्राम रायपहाड़ी ललमकाना की बीच आम रोड पर एक काले रंग की हिंगे मटरा सायकल नामक नानव बत्तर पर तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कड़ा अडकर व गोली मारकर सोने की बिजली, सोने की दो अंगठी, सोने का मंगलसूत्र, पुलाली लूट कर ले जाने की रिपोर्ट की थी जिसको सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवातर कारोबार अप०५०१८ ६७९२२ धारा ३९४ भादवि, 11/13 एमपीटीपीकीए पट्टक कायम बर कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चैदेल द्वारा उत्तर घटना को गंभीरता से लेते हुये आरोपियों कि जल्द से जल्द गिरफतारी के निर्देश दिये एवं विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चैदेल के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दतिया श्री अमन सिंह राठोर के सहयोग से अतिंत पुलिस अधीक्षक प्रवणी भूर्यानी गंगादरशन में एस.डी.ओ.पी. श्री संजय चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बारदात की पतारसी कर आरोपियों

आज से करीबन ढेंड-दो महिने पहले खोड़ क्षेत्र में तीन आरोपियों द्वारा ग्राम उदयपुर की रत्नानगर टकरी कच्चे रास्ते पर काले रंग की पैशन प्रो गाड़ी से एक महिला एवं पुरुष की कट्टा अड़ा कर एक मोबाइल सेमसंग कपनी का दो सोने की अंगूठी, एक मंगलसूत्र, दो सोने की चम्पकी, एक सोने की पुतेया, एक सोने की चैन, महिला के परें परों की चांदी की तोड़ियाँ, पर्श की लूट की थी तोसरी लूट- आज से करीब 24-25 दिन पहले रात करीबन 07.30-08.00 के बीच में तीन आरोपियों ने बेरेखड़ा तिहाइ के नीचे काली पहाड़ियाँ पुलिया पर काली रंग की पलस्त्र से एक औरत व अदामी की मोटरसाइकिल को रोककर अदामी की कनपटी पर काला लगाकर औरत जो गगे पहनी थी वह बैग में रखे रखे गगे छीन रखे थे। औरत एवं बैग में रखे गगे वे सोने की पांच अंगूठी, एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की एक जोड़ी चम्पकी, एक जोड़ी बजबाला, एक सोने की पुतेया, एक बैदा, चांदी की पायल, दो बीबी कपनी का मोबाइल छीन कर ले गये थे तोचीथी लूट- आज से करीब 5-6 महिने पर्श का चार बार करीबन ग्राम कालीपानी हाईवे पर अबध होटल के आगे पर दो अपाचे गाड़ी से एक अपाचे गाड़ी पर चार आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल रोककर कट्टा

लाख रुपये थे, छीन कर भगो थे। चौहदवी लूट-
आज से करीब एक साल पहले रात करीब 12
बजे चार अंशोंप्रियों द्वारा शिवपुरी ज़िले हाईवे रोड
सुजतवाया मोड के आगे एक कार खड़ी थी उस
कार में बैठे व्यक्ति से तीन मोबाइल, 08 हजार
रुपये व मोबाइल से कान के सोने के टोपस लूट कर
ले गये थे। उक्त सभी अंशोंप्रियों ने गिरफतार करने
व लूटे गये माल की वरापदारी करने में थाना प्रभारी
कैरा निरी 10 सतीश सिंह चौहान, अमोला थाना
प्रभारी उन संतोष भारव, उन रावेन्द्र यादव, उनि
कुलदीप सिंह, उनि बी.0आर.0 परोहित, उनि
अरविंद चौहान थाना बैराम, चौकी हिमतपुर
चौकी प्रभारी नितिन भारव, चौकी खोड़ प्रभारी
उनि अंशुल गुरा, थाना प्रभारी सुखाया उनि रामेन्द्र
चौहान, चौकी थराना प्रभारी सउनि सतीश जयत
एवं थाना प्रभारी जिनां जिना दतिया, सउनि
विकेक भट्ट, सउनि जितेन्द्र जाट, कावा.प्राहर
जगदीश सिंह, कावा. प्राहर, हिमंशु जोशी, आर.0
सोनू पाण्डेय, आर.0 874 प्रभाजोत सिंह, आर.0
सोनू श्रीवास्तव, आर.0 सतेन्द्र सिंह, आर.0
ओमप्रकाश रावत, आर.0 अमित यादव, आर.0
सुखवीर, आर. अनिल यादव, आर.0 संजीव
श्रीवास्तव, आर. संदीप सिंह, आर. चा. रामहुजर
यादव की साराहनीय भूमिका रही है।

25 दिवसीय माली विषयक प्रशिक्षण हेतु करें आवेदन

अनिल कुशवाह प्रभारी
पृष्ठांजलि टुडे

शिवपूरी - राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि निकास योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिये मात्री प्रशिक्षण परियोजना स्थीकृत की गई है। जिसमें प्रदेश के 2500 युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को 25 दिवसीय मात्री विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के इच्छुक बेरोजगार युवक / युवतियों द्वारा 21 नवंबर से 27 नवंबर तक पोर्टल वेबसाइट पर आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदकों द्वारा शैक्षणिक योग्यता न्यन्तर 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य

होगा। बेरोजगार युवक/युवतियां आवेदन कर सकतीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्ता होगी। आवेदक किसी निजी अथवा शासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिये। आवेदक की आय न्यूनतम् 18 एवं अंतर्काल तमाम आय 40 वर्ष हो। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। प्रशिक्षणार्थी निर्धारित 200 घंटे का प्रशिक्षण बिना रुक्कावट के सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा इस बावत विभाग से अनुबंध करना होगा प्रशिक्षणार्थीयों का चयन कम्प्यूटरीकृत लारी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्षणों से कम होने पर लाटरी की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रशिक्षणार्थीयों का चयन बांधनीय शैक्षणिक अहंता के आधार पर किया जायेगा। लाटरी की प्रक्रिया राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा चयनित प्रशिक्षणार्थीयों की सूची बैबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए आवेदकों को स्स्केम माध्यम से सूचित किया जायेगा। चयनित प्रशिक्षणार्थीयों को विषय बस्तु के अंतर्गत पौधाशाला प्रबंधन, प्रयोगशाला उपकरणों का पहचान एवं उनका उपयोग लेन्ड स्केपिंग और नामेल गार्डिनिंग, कीटों बीमारियां एवं उनका प्रबंधन, भूमि की जल निकासी और पोषण संबंधी आवश्यकता, उद्यानकी फसलों का उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के संबंध में व्यवहारिक एवं प्रयोगिक प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं सफल प्रशिक्षणार्थीयों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

हाट बाजार का हुआ शुभारंभ



पिंगले खोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवृत्ती बाई चौराहा नयापांव खोड़ पर समस्त किसान भाइयों द्वारा 18 नवंबर शुक्रवार हाट बाजार मेला प्रारंभ किया गया जिसमें जिसमें क्षेत्र के सभी किसानों को बाजार से मिलने वाली महंगी चीजों से राहत मिलेगी और बहुत से किसान भाइयों को रोजगार भी उपलब्ध होगा प्रयास करता भरत लाल लोधी गणेश खेड़ा सहयोगी समस्त मित्राण

**14 साल की बच्ची
को किडनेप कर
किया था रेप, 5
नवंबर को हुई थी
20 साल की सजा**

शिवपुरी की सक्रिय जेल में बंद 1 कैदी ने फांसी लगा ली। कैदी रन्हौद थाना क्षेत्र के वेदमऊ गांव का रहने वाला था। कोर्ट ने 5 दिन पहले ही 20 साल कैद की सजा सुनाई थी।

जेल की बाथरूम में लगाई फांसी-
जानकारी के अनुसार आज दोपहर पातीराम
अपनी बैरक में बैठा हुआ था। इसके बाद
वह बाथरूम की ओर चला गया, जहाँ
बाथरूम में तौलिया की मदद से उसने
फांसी लगा ली। सूचना के जेल प्रबंधन
हरकत में आया। पातीराम की लाश पीएम
नाम से लाई गई।

हाउस में रखवा दी।
नाबालिंग से किया था दुष्कर्म-जानकारी
के अनुसार सुरवाया थाना की सीमा क्षेत्र के
फार्म हाउस पर दिसंबर 2020 को पातीराम
आदिवासी पुत्र परमा आदिवासी निवासी
बेदमठ थाना रन्नोद ने 14 साल की किशोरी
का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म किया
था। पुलिस ने इस मामले में किशोरी को
बरामद कर आरोपी पातीराम आदिवासी पर
बलात्कार सहित पौंछो एकत्र की धाराओं में
मामला हड्ड कर जेल भेज दिया था।

2 लाख देने की मांग की पुलिस ने किया मामला दर्ज

बी.ए की छात्रा से मोबाइल छीनकर भाग बदमाश, पुलिस ने पकड़ा

शिवपुरी। शिवपुरी के फिजिकल थाने से कुछ ही दूरी पर एक बी.ए द्वितीय वर्ष की छात्रा से मोबाइल को लूटने का मापला सामने आया है। छात्रा ने इसकी शिकायत फिजिकल थाने में दर्ज कराई है। संजय कलोनी की रहने वाली छात्रा काजल प्रजापति ने बताया कि वह आज कोचिंग पढ़ कर अन्य छात्राओं के साथ लौट रही थी। इसी दौरान वह साईं बाबा मंदिर और गणेश गली के बीच से गुजरने वाली संकरी गली से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान पीछे से एक युवक उसका मोबाइल छीन कर भाग गया। इसकी शिकायत उसने फिजिकल थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, जैसे ही छात्रा का मोबाइल अज्ञात बदमाश ने छीनते हुए भागा। वही पास में कुछ युवक खड़े थे। जिन्होंने उक बदमाश का पीछा किया। इसी दौरान कुछ दूरी पर बदमाश एक घर में घुस गया और मोबाइल को बाहर नहीं फेंक दिया। पुलिसकल थाना पुलिस ने मोबाइल को बरामद कर छात्रा को सौंप दिया है। पुलिस ने बादत को अज्ञाम देने वाले बदमाश सम्पर्कमार बाथम उर्फ़ कल्ज़ को गिरफ्तार कर लिया है।

नवंबर को दो लाख रुपए दे दूंगा। तब कहीं जाकर वह झूट के घर आया था। जसुना प्रसाद ने बताया कि भूरा ने उसके मोबाइल मोबाइल से मारपीट करने और धमकाने के बीड़ों वी बना लिए थे। रात में फिर घर पहुंचा धमकाने-जसुना प्रसाद ने बताया कि बीती रात भूरा तिवारी फिर एक बार घर पर आता है और फिर से धमकी देकर चला जाता है। इससे वह बहुत ही डरा हुआ है। इसकी शिकायत अपने परिजन और समाज के लोगों के संश्चरणों करने के बाद आज खौल थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। रासौद थाना पुलिस ने आरोपी भूरा तिवारी एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मालिला दिया है।

रेजांगला के वीर अहीर शहीदों की याद में मनाया गया यादव शौर्य दिवस



अनिल कुशवाह प्रभारी

शिवपुरी-खबर कोतवाली क्षेत्र के पोले ग्राउंड से हो जहां पर यादव युवाओं के द्वारा आज यादव सौर्य दिवस मनाया गया जानकारी देते हुए देमत्त यादव बड़ीती के द्वारा तात्पात्रा यामा 18 नवंबर 1962 को लदाख के जैगाला में 13 कमाऊं रेजीमेंट की चालीं कंपनी पोस्टेड थी जिसमें 114 शूरवीर अहीर शामिल थे और सामने चाइना की एक 3000 सैनिकों की एक इन्फंट्री थी हमारी सेना के पास हथियारों की कमी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पोस्ट को खाली ना करते हुए लड़ने का निश्चय किया और जब हथियार खत्म हो गए तो गुम गथा की लदाई लड़ी और एक एक सैनिक ने दस दस चीनी सैनिकों को मौत के घाट उत्तर दिया ये लई हैं इन्हीं धौषण थीं करीब 11 सौ चीनी सैनिकों को मौत के घाट उत्तर दिया ये लई हैं दुनिया की सबसे खतरनाक लई हैं मैं सामिल हूँ और अधिक जानकारी देते हुए मोहित यादव के बायतो की कोई भी सैनिक ने अपनी पीठ पर गोली नहीं खाई थी करीब 6 महीने तक उनके पार्थिव शरीर यूंहा रखे थे जब मासूम बुझ आया तउ उनके पार्थिव शरीर को नीचे तात्पात्रा यामा यामा और उनका अंतिम संस्कार जैगाला मैं किया गया था उन जाह को भारत सरकार ने अहीर धूम नाम दिया।

पुलिस थाना पिट्ठोर ने पती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी आरोपी पति व देवर को गिरफ्तार

पत्रकार राकेश परिहार पिछोर

पिछोरा, राजस्थान भारत में अधीक्षक शिवपुरी राजेश चंदेल , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया , एसडीओपी दीपक तोमर के निर्देशन में व पुलिस थाना पिछोरा की टीम ने ग्राम लहरा में पती सुमन सेन को आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए पति देवर को गिरफ्तार किया। सुमन सेन निवासी पुराना दिनारा का विवाह वर्ष 2019 में लहरा के बृजेंद्र सेन के साथ हुआ था। दिनांक 21/9/22 को सुमन सेन अपनी सुसुराल ग्राम लहरा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुमन सेन के कोई बच्चा भी नहीं था उसके सुसुराल वाले दहेज में 50,000 वा मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा धर के का कमाकर्जो को लेकर भी परेशान करके मारपीट करते थे। पुलिस ने मर्याजं चंद से सुमन के पति बृजेंद्र सेन देवर मंगलसेन व सास मीरा सेन के विशद्ध धरा 306, 498 34 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था पति व देवर को गिरफ्तार करन्यालय पेश किया जाहा से उहें जेल भेज दिया गया। पुलिस थाना पिछोरा की टीम में सहायक उपनिराक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अरविंद यादव, संतो यादव, हमाशू चतुर्वेदी , आरक्षक बचान सिंह तोमर व मार्गिलाल मार्जन की मार्गदर्शक भवित्वांक गृही



